

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक- 05/01/2025

विषय :- विकास आयुक्त, बिहार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के क्षेत्रान्तर्गत नहर तटबंधों के किनारे उपलब्ध चाटलैण्ड में बसंतकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹5,07,961/- (पाँच लाख सात हजार नौ सौ एकसठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,38,804/- (दो लाख अड़तीस हजार आठ सौ चार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विकास आयुक्त, बिहार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के क्षेत्रान्तर्गत नहर तटबंधों के किनारे उपलब्ध चाटलैण्ड में बसंतकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹5,07,961/- (पाँच लाख सात हजार नौ सौ एकसठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,38,804/- (दो लाख अड़तीस हजार आठ सौ चार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-1311 दिनांक-20.12.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-0109-प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011020109, विषय शीर्ष-0109.02.01-मजदूरी, तथा 0109.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
14. संचिका संख्या-479/2024 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-30.12.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-31.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
15. संचिका संख्या-479/2024 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-01.01.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-03.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-479/2024- 54 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-05/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-479/2024- 54 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-05/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

SUMMARY OF NAHAR TAT SPRING SEASON PLANTATION ADVANCE CUM COMPLETION WORK IN FY 2024-25 AND MAINTENANCE WORK FROM FY 2025-26 TO 2027-28
(Plantation on Selected canal sites as directed in Meeting of Development Commissioner, Bihar)

Sl. No.	District	Range	Block	Plantation Site Name	Length (in km)	No. of plants			Advance-cum-Completion - FY 2024-25			1st Yr. Maintenance work - FY 2025-26			2nd Yr. Maintenance work - FY 2026-27			3rd Yr. Maintenance work - FY 2027-28			Total Estimated Cost			Remarks
						Pic	Mound	Total	Wages	Material	Total	Wages	Material	Total	Wages	Material	Total	Wages	Material	Total	Wages	Material	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Darbhanga	Benipur	Gaurabauram	Right Koshi Tatbandh-Flood Control Division-2, Jhanjharpur (93.00km to 93.415km)	0.415	0	100	100	23797	20845	44642	15547	422	15969	12220	422	12642	12775	22	12797	64339	21711	86050	
2	Darbhanga	Benipur	Gaurabauram	Right Koshi Tatbandh-Flood Control Division-2, Jhanjharpur (81.50km to 81.725km)	0.225	0	50	50	12008	20622	32630	7773	211	7984	6111	211	6322	6388	11	6399	32280	21055	53335	
3	Madhubani	Jhanjharpur	Madhepur	Left Koshi Tatbandh-Flood Control Division-1, Jhanjharpur (63.30km to 64.80km)	1.5	0	400	400	94176	22179	116355	62189	1689	63878	48879	1689	50568	51100	90	51190	256344	25647	281991	
4	Madhubani	Jhanjharpur	Madhepur	Left Koshi Tatbandh-Flood Control Division-1, Jhanjharpur (65.80km to 66.30km)	0.5	0	100	100	24332	20845	45177	15547	422	15969	12220	422	12642	12775	22	12797	64874	21711	86585	
Nahar Tat Plantation Total					2.64	0	650	650	154313	84491	238804	101056	2744	103800	79430	2744	82174	83038	145	83183	417837	90124	507961	

Submitted By,

[Signature]

ROF,
Benipur

ROF,
Jhanjharpur

ROF,
Jhanjharpur

Technical Sanction is accorded for Rs.5,07,961/- (Five Lakh Seven Thousand Nine Hundred Sixty One Rupees) Only.

Counter Signed

[Signature]
S. K. Ojha
Conservator of Forest
Muzaffarpur Circle
Muzaffarpur

[Signature]
Divisional Forest Officer
Mithila Forest Division, Darbhanga